



ALL RIGHTS RESERVED
सर्वाधिकार सुरक्षित

FC/CC/M-2018-16

2018

LABOUR AND SOCIAL WELFARE

श्रम एवं समाज कल्याण

Time Allowed : 3 hours

Maximum Marks : 300

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 300

Instructions :

- All questions carry equal marks.
- Answer **six (06)** questions in all, selecting **three (03)** from each Section.
- Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
- All questions have been printed both in English and Hindi. In case of any ambiguity in Hindi version, the English version shall be considered authentic.
- Parts of the same question must be answered together and must not be interposed between answers to other questions.

अनुदेश :

- सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं।
- प्रत्येक खण्ड से तीन-तीन प्रश्नों को चुनते हुए कुल छः प्रश्नों के उत्तर दें।
- परीक्षार्थी यथासम्भव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छपे हैं। यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा।
- एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएँ।



(2)

SECTION—I

खण्ड—I

1. Explain the principles of labour legislations and describe the provisions relating to labour in Indian Constitution.

श्रम विधान के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय संविधान में श्रम सम्बन्धी उपबंधों का वर्णन कीजिए।

2. Define factory and describe safety and welfare provisions under the Factories Act, 1948.

कारखाना की परिभाषा दीजिए एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सुरक्षा तथा कल्याणकारी उपबंधों का वर्णन कीजिए।

3. Define shops and establishments and discuss the important provisions of the Bihar Shops and Establishments Act, 1953.

दूकान एवं प्रतिष्ठान की परिभाषा दीजिए तथा बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

4. Explain the following provisions under the Workmen's Compensation Act, 1923 :

- (a) Definition of Compensation
(b) Partial Disablement
(c) Total Disablement
(d) Rules of Compensation

(Continued)



(3)

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत नीचे दिए हुए प्रावधानों का स्पष्टीकरण कीजिए :

- (क) क्षतिपूर्ति (नुकसान-भरपाई) की परिभाषा
- (ख) आंशिक असमर्थता
- (ग) पूर्ण असमर्थता
- (घ) नुकसान-भरपाई के नियम

5. Critically review the Equal Remuneration Act, 1976 with special reference to Bihar State.

बिहार राज्य का विशेष संदर्भ देकर समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के ऊपर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

6. Explain the role of International Labour Organization in creation of international standards of labour with reference to influence on Indian Labour Legislations.

भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के सृजन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

SECTION—II

खण्ड—II

7. Explain the concepts of Industrial Relations and discuss the role of Trade Unions in maintaining industrial relations in Bihar State with an example.

औद्योगिक सम्बन्ध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए एवं बिहार राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध प्रस्थापित करने के लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देकर चर्चा कीजिए।

(Turn Over)



(4)

8. Discuss the role of Labour Court, Industrial Court and National Tribunals under the Industrial Disputes Act, 1947.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय एवं राष्ट्रीय श्रम न्यायालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

9. Write a detailed note on History and kinds of Trade Unions in India.

भारतीय श्रमसंघ के इतिहास एवं प्रकार पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए।

10. Define unemployment and explain its causes. Suggest the measures for removing unemployment in Bihar State.

बेरोजगारी की परिभाषा दीजिए एवं उसके कारण स्पष्ट कीजिए। बिहार राज्य की बेरोजगारी दूर करने के उपाय सुझाइए।

11. Discuss the problems of women and describe the programmes of women welfare in India.

महिला समस्या पर चर्चा कीजिए एवं भारत में महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।

12. Discuss the nature, scope and causes of prostitution in Bihar State.

बिहार राज्य में वेश्यावृत्ति की प्रकृति, व्याप्ति एवं कारणों पर चर्चा कीजिए।
